न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / याचिका / 7 / 2010

1—देवदत्त पुत्र बृजलाल
2—उमांशकर पुत्र बृजलाल जातियान ब्राहमण निवासी ग्रांम वमनपुरा
3—पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल तहसील भरतपुर जिला भरतपुर
4—हरप्रसाद पुत्र दामोदर
5—मुरारीलाल पुत्र दामोदर
6—जुगल किशोर पुत्र दामोदर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1—परियोजना निदेशक एन.एच.डब्लू.—11 प्राधिकरण(परियोजना इकाई) दौसा
14—भूमि अवाप्ती अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी) भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

याचिका धारा 3जी एन.एच.डब्लू. अधिनियम खिलाफ एवार्ड भूमि अवाप्ती अधिकारी उपजिला कलेक्टर भरतपुर बाबत आराजी खसरा नम्बर 1414 रकवा 0.73 है0 में से 553.64 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 317 रकवा 0.19 है. में से 1900 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 318 रकवा 0.1 है. वाके सेवर तहसील भरतपुर का मुआवजा दिलाने हेतु।

निर्णय **दिनांक 27.2.2018**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1414 रकवा 0.73 हे. में से 46.36 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 317 रकवा 0.19 है. में से 1900 वर्ग मीटर व इस खसरा में लगे एस.पी. डीपबोर ट्येवैल, खसरा नम्बर 318 रकवा 0.01 गैर मुमकिन बोरिंग को अवाप्त कर कब्जा कर लिया है बोरिग का मुआवजा एवं डौर की कीमत 50000/— व 10 पेड़ों की कीमत 50000/— रुपये का मुआवजा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

.....2

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 1414 रकवा 0.73 हे. में से 46.36 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 317 रकवा 0.19 है. में से 1900 वर्ग मीटर व इस खसरा में लगे एस.पी. डीपबोर ट्येवैल, खसरा नम्बर 318 रकवा 0.01 गैर मुमकिन बोरिंग को अवाप्त किया गया है। जिसका मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 318 में स्थित बोरिंग को मुआवजा नहीं दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि अवाप्त भूमि में डौर की कीमत एवं उसमें स्थित 10 पेड़ों की कीमत नही दी गई है वह भी दिलाई जावे। प्रार्थी ने एल.ए.ओ. के समक्ष आपत्ति की थी। परन्तु वहॉ कोई सुनवाई नहीं की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एनएच द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अन्य कथनों को अंकित करते हुये बताया गया है कि एन.एच. के लिये जो भूमि अवाप्त की कई गई थी उसका मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ.भरतपुर से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आवाप्त आराजी का मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी का कोई किया जा चुका है, प्रार्थी द्वारा मुआवजा चैक प्राप्ती रसीद पत्रावली में शामिल हैं। प्रार्थी का यह कहना कि डौर एवं आवाप्त आराजी में बोरिग था स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अवाप्त शुदा भूमि में बोरिंग या पेड़े स्थित हों तथा उनका मुआवजा निर्धारण करने से रह गया हो। अतः प्रार्थना पत्र याचिका काबिल खारिज के रहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी (याचिका) खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी (एल.ए.ओ.)भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2018 को सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर